

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लालाराम बनाम विमलादेवी अपील संख्या:-73/2022(जीसीएमएस नम्बर 2022/340)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>12.12.23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा दिनांक 02.03.2022 को आवंटन नियमों की पालना किये बिना ही आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 0.33 हैक्टर कस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.92 हैक्टर कस्म बारानी सोयम सम्पूर्ण कुल 1.25 हैक्टर भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है जबकि उक्त आवंटन शुदा भूमि पर अपीलान्त का कब्जा काफी अरसे से चला आ रहा है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलान्त द्वारा उक्त विधि विरुद्ध आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है किन्तु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 20.03.2023 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जा चुका है। इसलिये अपीलान्त अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन आदेश क्रमांक एल.आर/आवंटन/2021-22/2053 दिनांक 02.03.2022 को निरस्त कराने हेतु अपीलान्त द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है जबकि जिला कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 20.03.2033 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के आदेश क्रमांक एल.आर/आवंटन/2021-22/2053 दिनांक 02.03.2022 को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन हो चुकी है जिसे अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

(असलम अशेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।